भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2155

सोमवार, 5 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

तटीय पर्यटन

†2155. कैप्टन बृजेश चौटाः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़ में तटीय सर्किट के विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार प्रसाद योजना के अंतर्गत दक्षिण कन्नड़ के मंदिरों के विकास पर विचार करेगी;

(ग) क्या टियर-।। शहरों में पर्यटन, विशेषकर तटीय कर्नाटक में समुद्र तट पर्यटन, को बढ़ावा देने के लिए कोई संस्थागत प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या स्वदेश दर्शन योजना और इसके ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, हेरिटेज सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, इको सर्किट, ट्राइबल सर्किट के अंतर्गत विकास हेतु दक्षिण कन्नड़ के किसी भी स्थल को शामिल करने की कोई परियोजना अथवा प्रयास हैं; और

(ङ) क्या मंगलूरु पर विशेष ध्यान देते हुए तटीय कर्नाटक में क्रूज पर्यटन की संभावना तथा इसे बढ़ावा देने की योजना से संबंधित कोई डेटा है और विगत पांच वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ड.): पर्यटन मंत्रालय, 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' और 'स्वदेश दर्शन (एसडी)' नामक अपनी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर पर्यटन अवसंरचना के विकास में सहायता करता है।

कर्नाटक में स्वदेश दर्शन 2.0 की 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास' नामक उप-योजना के तहत विकास के लिए दो गंतव्यों अर्थात् 'बीदर' और 'उडुपी' को चिह्नित किया गया है और

स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत 3 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इनकी सूची निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**गंतव्य**	**परियोजना/हस्तक्षेप का नाम**	**लागत (करोड़ रु. में)**
1.	हम्पी	'ट्रैवलर नूक्स' की स्थापना	26.30
2.	मैसूरू	टोंगा राइड हेरिटेज एक्सपीरियंस जोन	4.12
3.	मैसूरू	इकोलॉजिकल एक्सपीरियंस जोन	18.36

प्रशाद योजना के तहत कर्नाटक में 45.71 करोड़ रु. की लागत से एक परियोजना अर्थात् 'श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में तीर्थ सुविधाओं का विकास' को स्वीकृत किया गया है और 2 स्थलों अर्थात 'श्री रेणुका यालम्मा मंदिर, सौदत्ती, बेलागवी जिला' और 'पापनाश मंदिर, बीदर जिला' को भी विकास के लिए चिह्नित किया गया है।

क्रूज पर्यटन की क्षमता का उपयोग करने के लिए सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता और सचिव (पोत-परिवहन) की सह-अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया गया है। क्रूज पर्यटन के विकास के लिए मंगलूरु सहित प्रमुख बंदरगाहों पर आने वाले यात्रियों को ई-पर्यटक वीज़ा की सुविधा और क्रूज शिप द्वारा प्रयोग किए जाने वाले चयनित प्रमुख बंदरगाहों पर आप्रवासन काउंटर की स्थापना जैसे विभिन्न उपाय कर बंदरगाहों पर आने वाले क्रूज यात्रियों को सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसके साथ ही पर्यटन मंत्रालय क्रूज पर्यटन सहित भारत के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन करता है।

पर्यटन मंत्रालय, विशेष रूप से मंगलूरु में क्रूज पर्यटन की क्षमता से संबंधित किसी प्रकार का डेटा तैयार नहीं करता है। यद्यपि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि कर्नाटक में नया मंगलूरु पत्तन प्राधिकरण (एनएमपीए), अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रूज जहाजों के लिए क्रूज टर्मिनल का संचालन करता है और इस प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2022-23 में बंदरगाह पर 2,635 यात्रियों के पर्यटक आगमन सहित छह अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाजों को प्रबंधित किया है।

वित्त वर्ष 2023-24 में मैंगलोर पत्तन प्राधिकरण ने 4,285 यात्रियों के पर्यटक आगमन सहित आठ अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाजों को प्रबंधित किया था।

इसके अलावा यह भी सूचित किया गया कि सरकार ने क्रूज जहाजों और पर्यटकों की सुविधा के लिए निम्नलिखित सहित कई पहलें शुरू की हैं:

(i) बर्थिंग के लिए कार्गो जहाजों की अपेक्षा क्रूज जहाजों को प्राथमिकता दी गई है।

(ii) युक्तसंगत क्रूज टैरिफ की शुरूआत की गई है।

क. पत्तन शुल्क को @ $0.085 जीआरटी (नियत दर) पर रिकवर किया गया है और बर्थ में पहले 12 घंटे ठहरने के लिए 6 डॉलर का सांकेतिक यात्री हेड कर।

ख. क्रूज जहाजों को उनकी वोल्युम कॉल के आधार पर 10% से 30% तक की छूट प्रदान की गई है।

(iii) क्रूज जहाजों को आकर्षित करने के लिए आउटस्टिंग चार्ज को हटाया गया है।

(iv) ई-वीज़ा और आगमन पर वीज़ा की सुविधा प्रदान की गई है।

(v) सिंगल ई-लेंडिंग कार्ड शुरू किया गया है जो क्रूज यात्रा कार्यक्रम में सभी पत्तनों के लिए मान्य है।

(vi) विदेशी क्रूज जहाजों के लिए कैबोटेज को कम किया गया है। यह छूट विदेशी क्रूज जहाजों को उनके डोमेस्टिक लैग के दौरान भारतीय नागरिकों को एक भारतीय बंदरगाह से दूसरे भारतीय बंदरगाह तक पहुंचाने की अनुमति देता है।

(vii) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विदेश जाने वाले जहाजों के लिए तटीय क्षेत्र में परिवर्तित होने पर प्रतिबंधित आईजीएसटी छूट की मंजूरी दी गई है। यह छूट छह महीने के भीतर विदेश जाने वाले जहाजों में इनके रि-कंवर्जन पर दी गई है।

****